सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

2018-19

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान

परिचय

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध एवं उचित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1987 में कम्प्यूटर निदेशालय की स्थापना की। तत्पश्चात आदेश संख्या प027(2)मंमं/1997 दिनांक 30 सितम्बर, 1997 द्वारा विभाग का नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा इसके कार्य क्षेत्र के अनुरूप इस संस्था का नाम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (Department of Information Technology & Communication- DoIT&C) कर दिया गया ।

इसी दिशा में वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड स्थापित की गई।

मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या प027(1)मंमं/2002 दिनांक 13 मई, 2002 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के कार्यविधि नियमों में संशोधन किया गया। संशोधित कार्यविधि नियम निम्न प्रकार से है :–

1 राजस्थान में कम्प्यूटरीकरण के लिये नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों और संगठनों में कम्प्यूटर, दूरसंचार और आधुनिक कार्यालय उपकरणों के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनका प्रचार करना।

2 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार के विकास और प्रयोग से संबंधित सभी पहलुओं पर नीतियों का निरूपण करना:

(क) समग्र निर्देश और मागदर्शन करना।

(ख) विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिये नीति और उनके क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।

(ग) सरकार में प्रयुक्त होने वाली समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पहचान करना।

(घ) बैंण्ड विड्थ की उपलब्धता और उत्तम गुणवत्तायुक्त ध्वनि तथा आँकडा प्रेषण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(ड़) दूरसंचार के प्रसार के लिये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में इन्टरनेट सुविधाओं के लिये नीति बनाना।

(च) राज्य के लिये अपेक्षित दूरसंचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिये नीति बनाना।

(छ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विनिमय के प्रयोजनार्थ प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिये युक्ति तैयार करना।

(ज) स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इन्टरनेट सुरक्षा नीति।

(ण) नीति निरूपण एवं क्रियान्वयन के लिए उपर्युक्त संगठनात्मक संरचना सृजित करना, और

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार परियोजनाओं की वित्त घोषणा के लिए नीति बनाना।

3 सरकार की सभी एजेन्सियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और सुदृढ़ीकरण के मामले में समन्यवय करना।

4 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए इलेक्ट्रानिक गवर्नेन्स का सूत्रपात करना :

(क) राजस्थान राज्य में ई–गवर्नेन्स का समन्वय और समग्र डिज़ाइन ।

(ख) सभी सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार परियोजनाओं में सिटिज़न इन्टरफेस को प्रोत्साहित करना।

(ग) राज्य में ई–गवर्नेन्स परियोजनाओं के क्रियान्वयन का परिवेक्षण करना ।

(घ) आँकड़ा संकलन, समेकन और प्रसार के लिए मानक सांकेतिक शब्दों के विकास का समन्वय करना ।

(ड़) सम्पूर्ण राज्य में इन्टरनेट और ई–कामर्स को प्रोत्साहन देना।

(च) उपध्यता (Feasibility) रिपोर्ट की तैयारी के लिए राज्य की एजेन्सीयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना।

(छ) व्यवहार अनुकूल और मानक कम्प्यूटर हार्डवेयर अनुप्रयोज्य साफ्टवेयर संचार डिवाइस/प्रोटोकॉल के चयन, उपार्जन, स्थापन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाह देना।

(ज) विभिन्न विभागों में ऑफिस ओटोमेशन का क्रियान्वयन।

(झ) सरकारी विभागों/निधिप्रदत्त एजेन्सियों/बी.ओ.ओ.टी या बी.ओ.ओ. परियोजनाओं द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की प्रगति का पुनरावलोकन, और

(ण) सरकारी विभागों के दैनिक प्रशासनिक कार्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के प्रयोग को मॉनीटर करना ।

5 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए विनिधान को प्रोत्साहन देना

(क) सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार क्षेत्र मे विनिधान के लिए प्रोत्साहनकारी गतिविधियों के लिए युक्ति तैयार करना।

(ख) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार उद्योग को प्रोत्साहन देना।

(ग) कम्प्यूटरीकरण के लिए नए क्षेत्रों का विकास करना।

(घ) ऐसी नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना जो जीवन स्तर को उन्नत करें, और

(ड) सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्ययुक्त सेवाओं को प्रोत्साहन देना।

6 निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार अवसंरचना का स्थापना

(क) राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का संस्थापन ।

(ख) ग्रामस्तर तक ब्रोडबैंण्ड डिजिटल संबन्धता के स्थापन को सरल बनाना।

(ग) राज्य में दूरसंचार अवसंरचना के सुधार के लिए डी.ओ.टी./वी.एस.एन.एल./बी.एस.एन.एल. या अन्य सार्वजनिक/निजि क्षेत्र की एजेन्सीयों के साथ समन्वय करना, और

(घ) समुचित संचार/नेटवर्क प्रौद्योगिकीं की पहचान करना और सरकार/उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्रों, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में अनुप्रयुक्त करना।

7 उच्च गुणवत्ता की कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

8 कम्प्यूटर और इन्टरनेट के प्रति जागरूकता और उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों (Refresher Courses)/सेमिनारों/कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों की व्यवस्था और समन्वय करना। महत्वपूर्ण साहित्यों और नियमावलियों को प्रकाशित करना और उन्हें वितरित करना।

9 सभी सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार संगठनों का समन्वय यथा एन.आई.सी. इलेक्ट्रानिक साफ्टवेयर प्रयोजन काऊन्सिल, नास्कॉम का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बन्धित भारत सरकार के विभागों के साथ समन्वय।

10 विभाग के नियन्त्रण के अधीन कम्प्यूटर एवं संचार वृतियों की भर्ती और संवर्ग प्रबन्धन।

11 कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों से भिन्न सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन के अधिकारियों और कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापन के समस्त मामले ।

12 प्रशासनिक विभाग की भूमिका में कम्प्यूटर विशेषज्ञों की नियुक्ति एवं संवर्ग व्यवस्था नियंत्रित करना।

13 इस विभाग के अन्तर्गत दो एजेन्सियां कार्यरत हैः–

- **राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड** :- वर्ष 1989 में राज्य सरकार ने राजस्थान स्टेट कम्प्यूटर सर्विसेज़ – राजकॉम्प (Rajasthan State Computer Services- RajComp) नामक उपक्रम की सोसाईटी के रूप में स्थापना की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्राद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में प्रशिक्षण, राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी परामर्श प्रदान करना एवं परियोजनाओं को क्रियान्वित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं राजकॉम्प राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। विभागीय आदेश संख्या प5(119)/सू.प्रौ./विभाग/10/2429 दिनांक 19.10.2010 द्वारा राजकॉम्प का स्वरूप परिवर्तित कर कम्पनी के रूप में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड (RISL) स्थापित की गई।

- **राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड** :- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई है। आर.के.सी.एल. का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

प्रशासनिक तंत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत समस्त संवर्गों का पुनगर्ठन किए जाने के पश्चात राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के विभिन्न संवर्गों में विभागीय स्तर पर पदों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार हैः –

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (Overall Cadre strength)

31 दिसम्बर, 2018

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	8	7	1
3.	अतिरिक्त निदेशक	14	8	6
4.	विशेषाधिकारी (टेलीकॉम)	1	1	0
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	48	35	13
7.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	160	141#	19
8.	लेखाधिकारी	1	0	1
9.	प्रोग्रामर	607	373$	234
10.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	3	3	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	35	20	15
12.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
13.	कनिष्ठ लेखाकार	4	2	2
14.	निजी सचिव	1	1	0
15.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
16.	निजी सहायक	1	0	1
17.	सहायक प्रोग्रामर	1066	265	801
18.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0
19.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
20.	वरिष्ठ सहायक	5	8*	0
21.	सूचना सहायक	6671	4271	2400
22.	कनिष्ठ सहायक	8	4**	4
23.	वाहन चालक	2	1	1
24.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	14	9	5
	कुल	**8658**	**5156**	**3505**

\# विभाग के आदेश क्रमांक 79167 दिनांक 18.01.2018 के द्वारा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर की सीधी भर्ती 2014 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अभिस्तावित 21 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गयी। रिक्त पदों की गणना 21 अभ्यर्थियों को कार्यरत मानते हुये की गई है।

$ कार्यालय आदेश क्रमांक एमएल–3231 एवं एमएल–3233 दिनांक 23.03.2018 के द्वारा सहायक प्रोग्रामर से प्रोग्रामर (रिव्यू डीपीसी वर्ष 2017–18 एवं डेफर डीपीसी वर्ष 2016–17) के पद पर पदोन्नत 22 सहायक प्रोग्रामर्स को प्रोग्रामर के पदों पर कार्यरत मानते हुए गणना की गई है।

* RISL के 3 प्रतिनियुक्ति के रिक्त पदों के विरूद 3 वरिष्ठ सहायक RISL में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है।

** 1 कनिष्ठ सहायक प्रतिनियुक्ति पर RISL में पदस्थापित है।

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (मुख्यालय),स्वीकृत पद/कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची

31 दिसम्बर, 2018

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद
1.	आयुक्त, आई.ए.एस	1	1	0
2.	तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव	6	5	1
3.	अतिरिक्त निदेशक	9	5	4
4.	विशेषाधिकारी (टेलीकॉम)	1	1	0
5.	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	19	10	9
7.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	55	34*	21
8.	लेखाधिकारी	1	0	1
9.	प्रोग्रामर	39	35**	4
10.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	2	2	0
11.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।	2	2	0
12.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
13.	कनिष्ठ लेखाकार	4	2	2
14.	निजी सचिव	1	1	0
15.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	0	1
16.	निजी सहायक	1	0	1
17.	सहायक प्रोग्रामर	39	12	27
18.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	4	4	0
19.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1
20.	वरिष्ठ सहायक	5	5	0
21.	सूचना सहायक	316	178#	138
22.	कनिष्ठ सहायक	7	3	4
23.	वाहन चालक	2	1	1
24.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	13	9	4
	कुल	**531**	**312**	**219**

नोटः-

* श्री आशुतोष गौतम, श्री प्रवीण कुमार एवं वासु देव, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) क्रमशः दिनांक 28.03.2016, 02.03.2017 एवं 10.03.2017 से निलम्बित चल रहे है। श्री देवेश बाडमेरा एवं श्री सतीश कुमार जंगम, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) को क्रमशः दिनांक 08.10.2018 एवं 05.10.2018 से आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया है तथा एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के 2 पदों के विरूद्व प्रोग्रामर कार्यरत है।

** श्री हेमराज, श्री प्रदीप कुमार अरोरा एवं श्रीमती सुनीला व्यास, प्रोग्रामर को क्रमशः दिनांक 03.12.2018, 21.12.2018 एवं 21.12.2018 से आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया है।

\# श्री हेमन्त कुमार सत्यावना, श्री पंकज कुमार एवं श्री नरेन्द्र मीना, सूचना सहायक क्रमशः दिनांक 19.09.2013, 01.02.2017 एवं 02.03.2017 से निलम्बित तथा श्री प्रवीण कुमार कलाल, श्री राकेश कुमार, श्री नवीन कुमार सैनी, संकेत कुमार जांगिड़ एवं श्री जितेन्द्र वर्मा, सूचना सहायक को क्रमशः दिनांक 15.10.2018, 09.10.2018, 12.10.2018, 30.11.2018 एवं 09.10.2018 से आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है।

निलम्बनकाल एवं आदेशों की प्रतीक्षा के दौरान उक्त समस्त का मुख्यालय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर रखा गया है।

यू.आई.डी. प्रोजेक्ट (U.I.D. Head) 3454-02-203-(01)-[01]-[03]

(31 दिसम्बर, 2018)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)	रिक्त पद	विशेष विवरण
1.	ओ.एस.डी.	1	1	–	
2.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	–	1	
3.	सीनियर प्रोजेक्ट आफिसर (तकनीकी निदेशक)	1	1	–	
4.	सीनियर प्रोजेक्ट आफिसर	1	–	1	
5.	प्रोजेक्ट आफिसर	2	1	1	
6.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	1	1	–	
7.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।	1	1	–	
8.	कनिष्ठ सहायक	1	–	1	
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3	–	3	2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संविदा पर एजेन्सी के माध्यम से)
	कुल	**12**	**5**	**7**	

कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सू.प्रौ. और संचार विभाग

(31 दिसम्बर, 2018)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	7	6*
2.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)	33	32
3.	प्रोग्रामर	33	27**
4.	सहायक प्रोग्रामर	33	25***
5.	लेखाकार	33	18
6.	सूचना सहायक	231	195$

* सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) के पद के विरूद्व 1 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) पदस्थापित है।

** प्रोग्रामर के पदों के विरूद्ध 1 सहायक प्रोग्रामर एवं 1 सूचना सहायक पदस्थापित है।

*** सहायक प्रोग्रामर के पद के विरूद्ध 13 सूचना सहायक पदस्थापित है।

$ सूचना सहायक के पद के विरूद्ध 1 सहायक प्रोग्रामर पदस्थापित है।

कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सू.प्रौ. और संचार विभाग पंचायत समिति

(31 दिसम्बर, 2018)

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद (कार्यरत)
1.	प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	345	168*
2.	सहायक प्रोग्रामर (ब्लॉक मुख्यालय हेतु)	690	3**
3.	सूचना सहायक (पंचायत समिति मुख्यालय हेतु)	1035	1012$

* ब्लॉक मुख्यालय पर प्रोग्रामर के 345 पदों के विरूद्ध 1 एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक), 122 प्रोग्रामर, 6 सहायक प्रोग्रामर तथा 39 सूचना सहायक पदस्थापित है।

** ब्लॉक मुख्यालय पर सहायक प्रोग्रामर के 690 पदों के विरूद्ध 1 सहायक प्रोग्रामर तथा 2 सूचना सहायक पदस्थापित है।

$ कार्यालय आदेश क्रमांक 76733 दिनांक 22.11.2017 एवं 000341 दिनांक 08.05.2018 के द्वारा सूचना सहायक से सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को अस्थाई रूप से पदस्थापन कार्यालय में सूचना सहायक के पद को सहायक प्रोग्रामर के पद में क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण हेतु पदस्थापन आदेश जारी किये गये। अतः पदोन्नत 292 सूचना सहायको को सहायक प्रोग्रामर के पदों पर कार्यरत मानते हुए गणना की गई है।

पुर्नगठन के उपरान्त पंचायत समिति मुख्यालय में सरपलस हुए सूचना सहायक, सहायक प्रोग्रामर के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत है।

नीतिगत पहल

- **UID (आधार)** – भारत सरकार की 'आधार' परियोजना के अतंर्गत समस्त नागरिकों को एक बारह अंक का नम्बर दिया जाता है, जो कि उनकी पहचान संख्या कहलाता है। इसका उपयोग कर देश के नागरिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे समस्त लाभ एवं परिलाभ तथा सेवायें बेहतर उपलब्ध करायी जा रही हैं। आधार परियोजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राज्य पंजीयक है। राज्य के 6.70 करोड़ नागरिकों को अभी तक पंजीकृत किया जा चुका है।

- **राजस्थान स्टार्टअप** - राजस्थान ने स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने हेतु आई–स्टार्ट, चैलेंज फॉर चेंज तथा राजस्थान स्टैक जैसी परियोजनाओं के अतिरिक्त Start-ups को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, सरकार की ओर से निःशुल्क plug and play सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर, उदयपुर एवं कोटा में incubation centre, "Istart Nest" क्रियाशील कर दिया गया है। जोधपुर में Incubation Center शीघ्र ही तैयार कर क्रियाशील कर दिया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाऐं

- **राजस्थान सम्पर्क** सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के निवारण का एकीकृत मंच है। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल www.sampark.rajasthan.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित है। Add-on modules जैसे mobile app, reality check module, GIS integration एवं advance data analytics को सामान्य जन के लिए विकसित एवं क्रियान्वित किया गया है। Automatic Speech Recognition (ASR) functionality वाले Reality check module को राजस्थान सम्पर्क के साथ एकीकृत कर दिया गया है। **CM** हेल्पलाईन हेतु नया टोल फ्री नम्बर (181) शुरू किया गया है।

- **एकीकृत कॉल सेंटर (Citizen Contact Centre)** – एकीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1800–180–6127 पर राजस्थान सरकार के समस्त विभागों से जुडी जानकारी प्राप्त कर सकते है तथा राजस्थान सम्पर्क के अन्तर्गत जनसमस्या दर्ज करा जानकारी प्राप्त कर सकते है। यह सेंटर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करता है। बिजली, पानी, जेडीए, चिकित्सा, मनरेगा, वाणिज्यिक कर और कृषि के कॉल सेंटर इसी एकीकृत केन्द्र से जोड़ दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त महिला एवं बाल विकास, परिवहन, श्रम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान लोक सेवा आयोग, खाद्य–नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, रोजगार सेवा और अल्पसंख्यक मामलात विभाग भी CCC से जोड़ दिये गये हैं। प्रतिदिन लगभग 8000+ कॉल, CCC के माध्यम से प्राप्त किये जा रहे हैं। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं आधारभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क इत्यादि के संबंध में ग्राम पंचायतवार Reality Check Campaign भी किया जाता है।

- **विडियोवॉल** - राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर तक राज्य की विभिन्न योजनाओं को प्रसारित करने हेतु विडियो वॉल स्थापित की गयी है। इस वॉल पर स्वतःचालित सूचनाये समयानुसार प्रसारित होती है। कार्यक्रमों का दृश्य–श्रव्य प्रसारण (Live Webcast) होता है।
- जन समस्या निवारण की सुविधा को Rajasthan V.C. के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक क्रियाशील कर दिया गया है। 9000 स्थानों पर विडियो कॉंफ्रेंसिंग सुविधा क्रियाशील कर दी गयी है।
- **ई-सखी - राज्य की डिजिटल पथप्रदर्शक** - इस परियोजना के अन्तर्गत 18–35 वर्ष की आयु की 1.5 लाख महिलाओं को ई–सखी कार्यक्रम द्वारा सरकारी योजनाओं को नागरिकों को डिजिटल माध्यम से पहुँचाने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। ई–सखी अपने संबंधित गाँव/शहरी क्षेत्र के लोगो को सरकारी ई–सेवाओं का लाभ उठाने के लिये प्रशिक्षित करती है।

  इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के अधिक–से–अधिक नागरिकों तथा ग्रामीण परिवारों में से कम से कम एक नागरिक को डिजिटल साक्षर बनाना है।
- **राजस्थान डिजिकिट** - राज्य के ऐसे सभी निवासी जो कि राज्य की सीधी/लाभ हस्तांतरण योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, उन्हें आधारभूत डिजिटल सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु दी जाने वाली डिजिकिट में सिंगल साइन ऑन यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध करवाया गया है, जिसके द्वारा राज्य के सभी नागरिक सरकारी सेवाओं का एक यूजर नेम एवं पासवर्ड द्वारा उपयोग कर सकेंगे।

  इस किट में राज ई–वॉल्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही इस किट में सरकारी ई–मेल (राज–ईमेल) द्वारा मेल भेजने एवं प्राप्त करने की सुविधा भी है। राज ईमेल की सुविधा हिन्दी भाषा में भी प्राप्त है।
- **राजनेट** - सरकारी विभागों के मध्य सूचना तंत्र स्थापित करने के अंतर्गत राज्य के लगभग 200+ (58 पुलिस मुख्यालय) भवन सेकलेन के माध्यम से आपस में एक दूसरे से इंटरनेट तकनीक का उपयोग करते हुये जुडे हुये है। कुल Nodes 5500+ है, जिनमें 5 Nodes BSNL से connected है।

  इसी क्रम में सेकलेन परियोजना का विस्तार कर 'राजनेट' के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में पंचायत स्तर तक नेटवर्क स्थापित कर सरकारी भवनों को जोडा जा रहा है। इसके अर्न्तगत राज्य की 10000+ पंचायतों पर यह सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। साथ ही समस्त 33 जिला मुख्यालयों एवं चयनित ब्लाक्स पर IP फोन स्थापित कर दिये गये है।
- **वाई-फाई नेटवर्क** - वाई–फाई हॉट–स्पॉट की सुविधा सभी विभागीय मुख्यालयों एवं समस्त जिला मुख्यालयों (कलेक्टर ऑफिस को छोडकर) में चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करा दी गई है। जयपुर में लगभग 100 कार्यालयों एवं 5000 ग्राम पंचायतों में वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।
- राज्य के लिए एक ही GIS platform तैयार कर वर्तमान में राजस्थान के स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये 3D Modelling का कार्य किया जा रहा है। जयपुर का GIS आधारित 3D Model विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

- **ई-मित्र** - राज्य में लगभग 55000+ ई–मित्र केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये है। e-Mitra कियोस्क के माध्यम से नागरिकों को सरकारी एवं निजी क्षेत्र की लगभग 450+ सेवायें तथा सूचनायें इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रही है। साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली, पानी एवं मोबाइल के बिल जमा कराने की सुविधा भी प्रारम्भ कर दी गयी है। आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं समस्त सत्यापन कार्य हेतु आवेदन किया जाता है।

- **ई मित्र प्लस** - यह एक अद्भुत पहल है जिसने प्रदेश की जनता और सरकार को टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोडा है। इन पर नकद डेबिट क्रेडिट कार्ड और बायोमेट्रिक के माध्यम से सभी सरकारी सेवाएं जैसे उपयोगिता बिल आदि का भुगतान भी कर सकते है। यह स्वचालित कियोस्क सरकारी स्टेशनरी पर सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र डोमिसाइल, आदि प्रिंट करता है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के साथ लाइव सेशन से जुड कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राम पंचायतों पर लगभग कियोस्क installation का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, यह कियोस्क विडियो कॉन्फेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराते है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 3624 ई–मित्र ATM install कर दिये गये है।

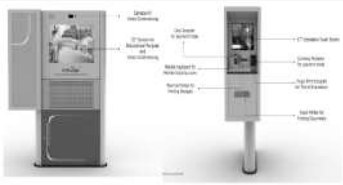

- **राज-पेमेंट** - राजस्थान पेमेंट गेटवे बैंक, मोबाईल वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, एवं भारत QR को आसान मोबाईल एवं ई–पेमेंट करने के लिए जोडता है। RPP राज्य सरकार के विभागों और संगठनों के लिए Two way इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की सुविधा प्रदान करता है। निवासी संबंधित विभागों को कर, उपयोगिता बिल, शुल्क आदि का भुगतान एक ही स्थान से कर सकते है। इसी प्रकार, विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों और अन्य को एक निर्बाध और एकीकृत तरीके से लाभ की राशी हस्तांतरित कर सकते हैं।

- **डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र** - सम्पूर्ण राज्य में घर बैठे ही इन्टरनेट के माध्यम से/एकल खिड़की/कियोस्क के माध्यम से वैधिक मान्यता प्राप्त डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करवाने कि प्रणाली की शुरूआत की गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत मुख्यतः मूल निवास, जाति, आय तथा हैसियत प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। प्रतिमाह लगभग 1.21 लाख डिजिटल प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं। अन्य प्रकार के प्रमाण–पत्र, अनुज्ञप्ति इत्यादि भी डिजिटली हस्ताक्षरित रूप से उपलब्ध करवाये जाते है।

- **स्टेट पोर्टल** - समस्त नागरिकों, सरकारी प्रयोगकर्ताओं, व्यापारियों एवं विदेशी लोगों के लिये सभी सरकारी सेवाओं/सूचनाओं का एकमात्र स्त्रोत है। इसके साथ सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल जोड़े जा रहे है एवं इस पोर्टल विभिन्न योजनाओं के तहत लेन–देन का ब्यौरा भी उपलब्ध रहता है।

- **एकीकृत सरकारी पोर्टल** - वेबसाईट/पोर्टल/वेब एप्लीकेशन की आसान उपलब्धता पहुँच एवं

उत्तरदायी बनाने के लिये समस्त सरकारी पोर्टल का मानकीकरण किया जा रहा है। सभी सरकारी पोर्टल सभी उपकरणों पर क्रियाशील होंगे एवं सभी पोर्टल के लिये मोबाईल एप्लीकेशन उपलब्ध होगी। इसके अन्तर्गत समस्त जिलों की वेबसाईट, डीआईपीआर, ऊर्जा विभाग का पोर्टल, उद्योग विभाग का पोर्टल, पर्यावरण पोर्टल, अरबन पोर्टल (15 यूआईटी, 7 नगर निगम, 34 नगर परिषद, 147 नगर पालिका सहित), परिवहन पोर्टल, कानून एवं न्याय पोर्टल, रोड पोर्टल, पर्यावरण पोर्टल, भू राजस्व पोर्टल, पीएचडी जल पोर्टल, आईटी स्टार्टअप वेबसाईट, विशेष व्यक्ति आयुक्तालय, आयोजना पोर्टल, आर.आई.सी., आर.एस.सी.डब्लू., एस.एफ.सी., आर.एसएच. आर.सी., राज्य सूचना आयोग, महिला आयोग, राज्य वित्त आयोग, अल्पसंख्यक एवं अन्य कई का निर्माण किया गया है।

- **ई-संचार एवं आई- फैक्ट** - ई– संचार एप्लीकेशन के अर्न्तगत किसी भी विभाग की योजना से संबंधित नोटिफिकेशन आवेदनकर्ता/ लाभार्थी को एवं सरकारीकर्मी को SMS/voice message के माध्यम से भिजवाये जा सकते है। I-Fact एप्लीकेशन का उपयोग राजस्थान सम्पर्क के अर्न्तगत reality check के लिये किया जा रहा है।
- **राज्य मास्टर केन्द्रीयकृत डाटा हब** - यह हब विभिन्न विभागों की एप्लीकेशन की आवश्यकतानुसार हर प्रकार का मास्टर डाटा उपलब्ध करवाता है। इस हब के अन्तर्गत हर तरह के डाटा जैसे भौगोलिक वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के आंकडे जो विभागीय एप्लीकेशन में प्रयुक्त होते है, सभी उपलब्ध है।

मानव संसाधन विकास

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण** - मानव संसाधन विकास विभिन्न विभागों में किये जा रहे कम्प्यूटरीकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिये कम्प्यूटर में दक्ष मानव संसाधन का विकास अतिआवश्यक है। विभाग द्वारा आदिनांक तक प्रदेश भर में लगभग 25000+ सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है।
- सरकारी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार जो सरकारी कर्मचारी इन्दिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा एम.सी.ए., बी.सी.ए. एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेता है उसका नियमानुसार शुल्क पुनर्भरण किया जाता है।
- शहरी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रोद्यौगिकी शिक्षा प्रदान कर डिजीटल डिवाईड़ को मिटाने हेतु स्थापित राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन का 'RS-CIT' पाठ्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस पाठ्यक्रम के लिये राज्य कर्मचारियों को शुल्क पुनर्भरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। प्रशिक्षण उपरान्त वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परीक्षा ली जाती है एवं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है।

विभाग द्वारा किये गये अभिनव प्रयोग

- **State Data Centre (SDC) -** राजस्थान में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और संबंधित सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु स्टेट डाटा सेंटर का उद्घाटन माननीया मुख्यमंत्री द्वारा 06.10.2018 को किया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व संचालित, नियंत्रित एवं प्रबंधित डाटा सेंटर है। वर्तमान में यह देश का एक मात्र 99% uptime वाला 4 Tier डाटा सेंटर है।

- **Techno Hub** - Techno hub में एक ही स्थान पर digital museum, incubator और innovation की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। Techno Hub में Startups हेतु 700 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा के साथ, निःशुल्क Plug & Play, Cloud Server Space, Rajsthan Stack, RPG, Hosting सुविधायें इत्यादि उपलब्ध करवाई जाती हैं।

- **Techno Fund** - 14 Startups को Techno Fund के अन्तर्गत चयनित किया जा चुका है एवं 5.44 करोड़ रूपये दिये जा चुके है।

- **Challenge for Change** – इस परियोजना द्वारा राज्य के युवाओं को सीधे ही सरकार के सहभागी बनकर कार्य करने के अवसर प्रदान किये जाते है। इस परियोजना के माध्यम से रूपये 1 करोड़ तक के कार्यादेश, बिना पारम्परिक निविदा प्रक्रिया के सीधे ही चयनित युवाओं को प्रदान किये जाते है। इस परियोजना के माध्यम से विभिन्न नागरिक आधारित आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु युवाओ से सुझाव मांगे जाते है। चयनित सुझाव पर कार्य करने के लिये युवाओं को सरकार फण्ड, संसाधन उपलब्ध करवाती है।

- राज्य के लिए एक ही GIS platform तैयार कर वर्तमान में राजस्थान के स्मारकों एवं ऐतिहासिक भवनों के लिये 3D Modelling का कार्य किया जा रहा है। जयपुर का GIS आधारित 3D Model विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।

- **हिन्दी e-mail** – राजस्थान सरकार द्वारा जनता के लिए हिंदी में ई–मेल आई.डी. की सुविधा प्रारंभ की गयी जिससे जनता के लिए अंग्रेजी भाषा ई–मेल इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग करने में बाधा ना बने ।

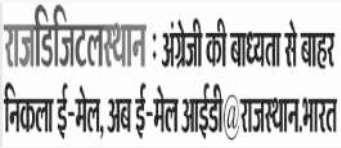

यह सेवा ई – शासन के प्रति लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करेगी ओर अधिकतम स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। राजस्थान सरकार अपने निवासियों को हिंदी में ई–मेल आई.डी. की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का एक मात्र राज्य है।

- **RajBIOSCOPE** – राज बायोस्कोप राज्य का वीडियो sharing पोर्टल है जो इंटरनेट पर वीडियो साझा करने का माध्यम है। राज्य के निवासी पोर्टल पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सामग्री की उपयोगिता के आधार पर वीडियो में अपना फ़ीडबैक, पसंद, टिप्पणी और रेटिंग प्रदान

की जा सकती है। यह पोर्टल सरकार के लिए उपयोगी चैनल के रूप में कार्य करता है, जो नागरिक और सरकारी विभागों को सरकार के बारे में जानकारी साझा करने का अधिकार प्रदान करता है।

- **एकीकृत परीक्षा प्रणाली पोर्टल (Rajasthan Recruitment Portal)** – एकीकृत परीक्षा प्रणाली पोर्टल में राजस्थान, भारत या विदेश में सभी उम्मीदवार ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते है।
- **सिंगल साईन ऑन (SSO)** – सभी विभागों की ई– सेवाओं हेतु सिंगल साईन ऑन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकारियों, ई–मित्र संचालकों, निवेशकों एवं नागरिकों के लिये यह सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। इस सुविधा के माध्यम से Single window की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत लगभग 70 लाख SSO ID उपलब्ध करवाई गई है। इसकी सहायता से विभिन्न विभागों की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक यूजर नेम एवं पासवर्ड की आवयकता होती है, जो की सिंगल साइन ऑन (स्टेट पोर्टल rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है, जिसके फलस्वरूप अलग–अलग यूजर नेम और पासवर्ड याद रखने की जरूरत नहीं होगी।

- **राज ई-वॉल्ट** – पेपरलेस सुविधा प्रदान करने के लिये प्रदेश के नागरिकों को अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखने के लिये e-vault की सुविधा दी जा रही है। e-vault में अपने कागज/ दस्तावेज/ प्रमाण पत्र scan कर सुरक्षित रख किसी सरकारी सेवा के लिए आवेदन या ऑनलाइन प्रमाण पत्र भरते समय आधार नंबर अंकित कर दस्तावेज सीधे उपयोग में लिए जा सकते है। Raj e-vault की संग्रहण क्षमता कम से कम 1 GB है। परियोजना का पहचान एवं ई–मित्र परियोजना के साथ एकीकरण कर लगभग 5 करोड़+ e-vault क्रियाशील है।

- **राज ई-साईन** - ऑनलाइन सेवा के उपयोग के समय e-sign द्वारा आधार अंकित कर e-vault में सेव किए दस्तावेज हस्ताक्षर करने की सुविधा उपलब्ध है।

- **राज ऐप सेन्टर** - मोबाईल एप्लीकेशन के विकास, क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु स्थापित किया गया है। इसके अन्तर्गत आदिनांक तक विभिन्न एप्लीकेशन विकसित की गयी है जिनमें मुख्य है ; SIPF, eMitra, App Status Rajasthan, ePDS, Bhamashah, RajApp Center, Raj Mandi, Some Facts About Rajasthan, LITES, eMitra Micro ATM, Raj eSign (QR Code), RajSampark, Raj Weaver, Rajnet, MJSA, Raj-eGyan, DOP, Revenue Court App (RCMS), Case Darpan, RajArtisan, CM App,

Senior Citizen Security App and District KPIs. यह कार्य निरंतर प्रकृति का है एवं आम जन की सुविधा के लिये लगातार नई Mobile Apps तैयार की जा रही हैं।

- **डाटा एनालिटिक्स एवं बिग डाटा क्लस्टर** - बिग डाटा के अन्तर्गत विभाग अपने अव्यवस्थित डेटा (दृश्य, डाक, प्रतिबिम्ब) को एकत्र कर रख सकता है एवं इसी डाटा को विश्लेषण एवं ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोग कर सकता है। सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिये अत्याधुनिक Big Data तकनीक से लैस Analytic System का विकास किया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के Dash Board तैयार किये जा चुके है। वाणिज्यिक कर विभाग में Fraud Detection Framework का निर्माण कर दिया गया है। Transport, Excise, Registration & Stamps तथा Mining Departments के लिये विभागीय dashboards का First version आरम्भ कर दिया गया है। RSDC में BigData hardware cluster install कर दिया गया है। Use case लागू कर दिये गये है एवं परियोजना Go-Live कर दी गई है।

- राज्य में नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों 14 जिलों (नागौर, बारां, डूंगरपुर, जालौर, जैसलमेर, सिरोही, प्रतापगढ़, झुंझुनूं, दौसा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, धौलपुर, भीलवाड़ा एवं करौली) पर IT enabled एकीकृत Command and Control Centre स्थापित कर क्रियाशील कर दिये गये है।

इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत निम्न सम्मिलित है:

1. Video Surveillance System (वीडियों निरीक्षण प्रणाली)
2. Dial 100 Control System (डायल 100 नियंत्रण प्रणाली)
3. Forensic Investigation System (फोरेंसिक जांच प्रणाली)
4. Intelligent Traffic Management System (कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली)
5. Vehicle Tracking System (वाहन ट्रेकिंग प्रणाली)
6. Geographical Information System (भौगोलिक सूचना प्रणाली)

इन सभी प्रणालियों को सुचारु रुप से क्रियान्वित करने हेतु सभी डिविजनों पर एक लघु डाटा सेन्टर का निर्माण भी इस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 के वित्तीय लक्ष्य तथा माह दिसम्बर, 2018 तक व्यय

Rs. In Lacs

S.No.	Project	Allotment			Exp. Upto 31.12.2018
		State Share	Central Share	Total	
1	IT& DoIT	79059.57	445.02	79504.59	75212.90
2	NEGP	0	2744.45	2744.45	0
	Total	**79059.57**	**3189.47**	**82249.04**	**75212.90**

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2224855 फैक्स : 0141-2222011

http://www.rajasthan.gov.in,

http://www.doitc.rajasthan.gov.in